"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 315] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2009—आश्विन 29, शक 1931

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2009

आदेश

क्रमांक 6946/डी-2402/21-ब/छ.ग./2009.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 759/II-2-2/2007/गोप./2009, बिलासपुर दिनांक 07-10-2009 के अनुपालन में श्री शैलेष कुमार तिवारी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), कोण्डागांव जिला बस्तर (जगदलपुर) की सेवायें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर से वापस लेकर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को सौंपता है तथा उन्हें तत्काल प्रभाव से स्थायी लोक अदालत, जगदलपुर के चेयरमेन के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक के लिए पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.